

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

बुक सं० :

23947

चतुर्थ प्रति (जमाकर्ता)

चालान सं० 86

दिनांक 05/09/2016

बैंक का नाम :

मानचित्र कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या

1. आवंटी का नाम Shiv Shakti Infra Vision Pvt Ltd.
2. पता B-2/64, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, LKO.
3. योजना / वार्ड का नाम Gomti Estate - II, vill-Bakkas, Part - Mohanlal Ganj
4. भवन/भूखण्ड/खसरा सं० आदि खण्ड/सेक्टर/मोहल्ला

मद का विवरण	मद सं	किस्त की राशि रु० पै०	सम्पूर्ण देय राशि रु० पै०
1. शमन शुल्क	04		
2. आन्तरिक विकास शुल्क	05		
3. बाह्य विकास शुल्क	06		
4. निरीक्षण शुल्क	07		
5. मानचित्र शुल्क (Lay-out map sub)		1,27,600/-	
6. अम्बार शुल्क	12		
7. वास्तुविद पंजी० शुल्क	27		
8. मास्टर प्लान/पुस्तिका शुल्क	36		
9. सुदृढीकरण शुल्क	39		
10. निर्माण जल शुल्क	43		
11. अन्य शुल्क	44		
योग अंकों में		127600	00

कुल योग (शब्दों में) One Lakh Twenty Seven Thousand Six hundred

चेक/ड्राफ्ट सं० 501469

दिनांक 05/09/2016

धनराशि रु० 1,27,600/- (शब्दों में)

बैंक का नाम जहाँ से धनराशि आनी है ICICI Bank

हस्ताक्षर जमाकर्ता

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

नोट : चालान को पूर्ण कर सम्बन्धित वार्ड लिपिक से जाँच कराकर धनराशि जमा की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR , LUCKNOW - 226010

Building Section

Receipt For Map Submitted

Ref. No. 51790

DATE 06/09/2016

Land Use Type LAY OUT

Received a Proposal design of Plot/House

458,461,462,465,471,472,476,480,493,496,497,500,501,503,505,515,516,517,522,525,526, Bakka.

Of Sector

Under

Scheme/Area

MOHAN LAL GANJ

From

Mr./Mrs

SHIV SHAKTI INFRAVISION PVT LTD

For

FRESH

Purpose along with enclosures.


Clerk/Operator

P.S. - You have to contact the Competent Authority (Bhawan Sec.) on 21/09/2016 between 12 to 2 P.M. for receiving objections u/s 15(3), if any or further information in this regard, failing which your application may get rejected. In case if your application is found to be fit for construction, you will be required to deposit Malba Charges, Water Charges etc. by a specified date which will be prior to 05/10/2016.



उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

विकास प्राधिकरण,
विकास क्षेत्र, लखनऊ

दिनांक 20/8/2016 ई०

महोदय,

मैं/हम (क) नीचे वर्णित स्थल का विकास करने या आरम्भ करने, (ख) नीचे वर्णित स्थल पर भवन/भवनो का निर्माण करने, (ग) नीचे वर्णित स्थल पर खुदाई करने या खुदाई को बढ़ाने, (घ) नीचे वर्णित सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनाने की अनज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे) संलग्न करता हूँ/करते हैं जिसमें उस स्थल को जिसका विकास या खुदाई करने का प्रस्ताव है या उस भूखण्ड को, जिस पर निर्माण करने का प्रस्ताव है, स्थिति आस-पास की स्थिति और स्वीकृत विन्यास यदि कोई हो तो तुलना में दिखाया गया है।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे) प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। जिससे मेरे/हमारे क्षेत्र पर प्रस्तुत महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना की अपेक्षानुसार ऊँचाइयाँ और प्रस्तावित भवन की निर्दिष्टियाँ दिखाई गई हैं।

मैं/हम उस भूमि का/के स्वामी, पट्टेदार हूँ/हैं जिसके लिए मैं/हम प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं।

१- भूमि का विवरण :-

Shiv Shakti Infra Vision Pvt. Ltd.

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में 64716.00 sq.mt.

(ख) उसकी नगर निगम द्वारा दी गयी संख्या या ब्यौरा तथा वर्णन यदि ग्रामीण क्षेत्र है, तो खसरा संख्या इत्यादि

Khabra No- 458, 461, 462, 465, 476, 479, 480, 493, 496, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 515, 516, 517, 522, 525, & 526

(ग) प्रयोजन जिसके लिए भवन उपयोग में लाया जायेगा, उदाहरणार्थ भूमि के उपयोग

Residential Plotting.

सड़क का वर्णन :-

कारीगर व निर्माण-सामग्री की सामान्य व ब्यौरेवार विशिष्टियाँ proposed 18m Road at Side,
9.0 m wide Road at Side
9.0 m wide Road at Side

अपनी

हस्ताक्षर

स्थानीय पता

133878



मूल्य 20 रूपया

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना पत्र का प्रपत्र

मे/हम
विकास प्राधिकरण,
विकास क्षेत्र, लखनऊ

दिनांक 20/8/2020 ई०

होदय,

मैं/हम (क) नीचे वर्णित स्थल का विकास करने या आरम्भ करने, (ख) नीचे वर्णित स्थल पर भवन/भवनो का निर्माण करने, ग) नीचे वर्णित स्थल पर खुदाई करने या खुदाई को बढ़ाने, (घ) नीचे वर्णित सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनाने की अनज्ञा के त्रे प्रार्थना करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे) संलग्न करता हूँ/करते हैं जिसमें उस स्थल से जिसका विकास या खुदाई करने का प्रस्ताव है या उस भूखण्ड को, जिस पर निर्माण करने का प्रस्ताव है, स्थिति आस-पास की स्थिति और स्वीकृत विन्यास यदि कोई हो तो तुलना में दिखाया गया है।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शों) प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। जिससे रे/हमारे क्षेत्र पर प्रस्तुत महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना की अपेक्षानुसार ऊँचाइयाँ और प्रस्तावित भवन की निर्दिष्टियाँ देखाई गई हैं।

मैं/हम उस भूमि का/के स्वामी, पट्टेदार हूँ/हैं जिसके लिए मैं/हम प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं।

Shiv Shakti Infra Vision Pvt. Ltd.

- भूमि का विवरण :-

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में 64716.00 Sqmt

(ख) उसकी नगर निगम द्वारा दी गयी संख्या या ब्यौरा तथा वर्णन यदि ग्रामीण क्षेत्र है, तो खसरा संख्या इत्यादि

Khata No - 458, 461, 462, 465, 476, 479, 480, 493, 496, 497, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 515, 516, 517, 522, 525, 526.

(ग) प्रयोजन जिसके लिए भवन उपयोग में लाया जायेगा, उदाहरणार्थ भूमि के उपयोग

Residential plotting.

सड़क का वर्णन :-

Proposed 18m wide road at
कारिगर व निर्माण-सामग्री की सामान्य व ब्यौरेवार विशिष्टियाँ 9.0 m wide road at
9.0 m wide road at

भवदीय

SHIV SHAKTI INFRA VISION

हस्ताक्षर

स्थानीय पता

भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन
Government of India
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
National Buildings Organisation

मूल्य रु 20/-

59877

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च _____ को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31st March 2017

अनु-1 सांख्यिकीय विवरण 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनाएँ, जो केन्द्रीय/राज्य अभिन्तरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रीय एकाइ (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु-2 सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा वयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।

Schedule I is to be filled by field units of Central/State Construction Agencies and Central/State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान

Identification

i) सेक्टर - सार्वजनिक / निजी
Sector - Public / Private

Private

ii) परियोजना का नाम
Name of Project

Proposed Gomati Estate phase-II Residential plotting at
Bakkash, Lucknow

2. परियोजना की स्थिति
Location

स्थान
Place

जिला
Distt.

Lucknow

शहर
Town

राज्य
State

UP

ग्रामीण/शहरी
Rural/Urban

Urban

(क) आरम्भ की तिथि

(i) Date of Commencement

Sept 2016

(ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य

(ii) Total Approved Cost of the Project

कार्यकारी एजेंसी
Executing Agency

(कोड):
(Code):

9

निर्माण का स्वरूप
Nature of Construction

(कोड):
(Code):

1

भवन का प्रकार
Type of Buildings

(कोड):
(Code):

1

परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt.:

35592.00 sqmt

परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt.:

35592.00 sqmt

अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल निवास्य एकाइ की संख्या
If Code 1 in item 6, then total No. of dwellign units in the project:

213 nos plot

[Signature]
Direct.

10. परियोजना में रहितवशी एककों की संख्या
No of dwelling units in the project by:

- (i) 1 कमरे वाले एकक / EWS
(ii) 3 कमरे वाले एकक / MIG

- (iii) 2 कमरे वाले एकक / LIG
(iv) 4 या अधिक कमरों वाले एकक / HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन
Whether project is completed

(कूट)
(Code) 4

12. मद संख्या 11 में यदि कोई 1 एवं 2 है तो कार्य सम्पादन की तिथि:
If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work.

2018

13. परियोजना में कुल निवेश
Total Investment made in the project:

मदें Item	गवीनतम स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से किए गए निर्माण कार्य की सेवा/ Value of work done beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वाच्छता और जलपूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical Fittings						

14. टिप्पणी:
Remarks

कोड के लिए:
Code for:

- कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू.डी-1, एम.डब्ल्यू.एस-2, रेलवे-3, पी. न. टी.-4, केंद्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी./विकास प्राधिकरण/फिनाम-7, विल्डर/टेकेंदार-8, निजी व्यक्तिगत-9
- Item 4 : CPWD - 1, MES - 2, Railway - 3, P&T - 4, Central PSU - 5, State PSU - 6, State PWD Development Authority/Deptt.-7, Builder/Contractor-8, Private Individual-9
- कोड 5 : नया-1, अतिरिक्त-2, नाव-निर्मित-3, मरम्मत-4
- Item 5 : New-1, Additions-2, Alterations-3, Repairs - 4
- कोड 6 : पारिवारिक रहितवशी-1, अपारिवारिक रहितवशी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9
- Item 6 : Family Residential-1, Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, Institutional-5, Others-9
- कोड 11 : चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4
- Item 11 : Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year -2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

भारत सरकार

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

Government of India

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

अनुसूची भरने के लिये अनुदेश

INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE

को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

for the year ending 31st March

1. (सार्वजनिक क्षेत्र) : यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली परियोजनाओं के लिये अलग-अलग राप्ती केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/विनयस प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम् केन्द्र/राज्य के कार्यक्रम के द्वारा भरी जानी है। ये सब परियोजनाएँ जो ली गयीं/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये भुजना भेजी जानी है। उन राप्ती परियोजना के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी हो।

Rule-I (Public Sector) : This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction agencies such as DMRE Railways/P&T/PWDs/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central PSU's, if the total cost of all the projects currently undergoing/new by each field unit separately in Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects taken/continuing does not exceed Rs.25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the project irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

श्रेणी-II (निजी क्षेत्र) :- यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवम् II शहरों और श्रेणी III से IV के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है।
Schedule-II (Private Sector) :- This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II towns and the selected class III & IV towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

पहचान : स्वतः स्पष्ट

Identification : self explanatory

स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है।

Location : It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment area.

Place, District, State Rural & Urban are self explanatory - Town, District & State name should be written.

3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवम् डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी साईट पर सामग्री और इन्हा सामान को सुपुर्दगी, लोडिंग/उत्तराव की शुरुआत या नींव का फव्वार रखने के बाद पहली बार व्यावहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।

Date of Commencement : When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing states site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the laying of foundation stone.

अनुमोदित लागत :- परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो राक्षम प्राधिकरणी द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये0 भरा जाना चाहिये।

Approved Cost : The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)

4. कार्यपालक एजेंसी/अभिकरण : स्वतः स्पष्ट
Executing agency (Codes) Self explanatory

5. निर्माण का प्रकार (कोड) : स्वतः स्पष्ट
Nature of Construction (Codes) : Self explanatory

6. निर्माण का स्वरूप (कोड) : स्वतः स्पष्ट
Type of Building (Codes) : Self explanatory

7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमंजिले भवनों या एक मंजिल से के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।
Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt. :- Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors in of one storey buildings or more than one floor is to be calculated here.

8. भवन में फर्शों/पलोर का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्गमीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से है इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढ़ियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।

Total floor area of all the floors in sq. mt. : (Carpet Area) : It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, baths etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth but not more than plinth area.

9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।
If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :- Self explanatory.

10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-
No. of dwelling Units in the Project : The classification of units by category is as follows :-

ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्गफुट)

EWS (< 500 Sq. ft.)

एल.आई.जी. (500 - 800 वर्ग फुट)

LIG (500 - 800 Sq. ft.)

एम.आई.जी. (800 - 1200 वर्ग फुट)

MIG (800 - 1200 Sq. ft.)

एच.आई.जी. (> 1200 वर्गफुट)

HIG (> 1200 Sq. ft.)

11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट
Whether Project is completed : Self explanatory

12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम् 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि :- स्वतः स्पष्ट
If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work : Self explanatory.

13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी है
Total investment made in the project : The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different ber.

नवीनतम अनुमोदित लागत : यह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।

Latest approved cost : This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the approved cost is to be given.

चालू वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो चालू के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।

Value of work done during the current year - It includes the cost of material incorporate if the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.

परियोजना के शुरु से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।

Value of work done since beginning of work : It is the total expenditure incurred since the beginning of project.

टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।

Remarks : Self-explanatory.

5

भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन
Government of India
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
National Buildings Organisation

मूल्य रु 20/-

59878

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च _____ को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31st March 2017

अनु.-1 सांख्यिकीय विवरण 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनाएँ, जो केन्द्रीय/राज्य अभिलेखों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रीय एककों (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु.-II सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा चयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।
Schedule I is to be filled by field units of Central/State Construction Agencies and Central/State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान
Identification

i) सेक्टर - सार्वजनिक / निजी
Sector - Public / Private

Private

ii) परियोजना का नाम
Name of Project

Proposed Ganti Estate-II Residential plotting at
Bilkash Lucknow

2. परियोजना की स्थिति
Location

स्थान
Place

जिला
Distt.

Lucknow

शहर
Town

राज्य
State

UP

ग्रामीण/शहरी
Rural/Urban

Urban

3. (क) आरम्भ की तिथि

(i) Date of Commencement

Sept 2016

(ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य

(ii) Total Approved Cost of the Project

4. कार्यकारी एजेंसी
Executing Agency

(कूट):
(Code):

9

5. निर्माण का स्वरूप
Nature of Construction

(कूट):
(Code):

1

6. भवन का प्रकार
Type of Buildings

(कूट):
(Code):

1

7. परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt.: 35592.00 Sq. Mt.

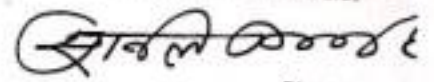
8. परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt.: 35592.00 Sq. Mt.

9. अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल रहनेवाली एककों की संख्या
If Code 1 in item 6, then total No. of dwellign units in the project:

213 nos. plot

SHIV SHAKTI INFRASTRUCTURE PVT. LTD.


Director

10. परियोजना में रहितगरी एककों की संख्या
No of dwelling units in the project by:

- (i) 1 कमरे वाले एकक / EWS
(ii) 3 कमरे वाले एकक / MIG

- (iii) 2 कमरे वाले एकक / LIG
(iv) 4 या अधिक कमरे वाले एकक / HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन
Whether project is completed

(कूट)
(Code) 4

12. मद संख्या 11 में यदि कोई 1 एवं 2 हैं तो कार्य सम्पादन की तिथि :
If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work.

2018

13. परियोजना में कुल निवेश
Total investment made in the project :

मदे Item	नवीनतम स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से अब किए गए निर्माण कार्य का मूल्य Value of work done since beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वच्छता और जलपूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical Fittings						

14. टिप्पणी :
Remarks

कोड के लिए :
Code for :

- कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू.डी-1, एम.ई.एस-2, रेलवे-3, पी. व. टी-4, केंद्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी. / विकास प्राधिकरण / विभाग-7, बिल्डर / ठेकेदार-8, निजी व्यक्तिगत-9
- Item 4 : CPWD - 1, MES - 2, Railway - 3, P & T - 4, Central PSU - 5, State PSU - 6, State PWD/Development Authority/Deptt.-7, Builder/Contractor-8, Private Individual-9
- कोड 5 : नया-1, अतिरिक्त-2, गव-निर्मित-3, मरम्मत-4
- Item 5 : New-1, Additions-2, Alterations-3, Repairs -4
- कोड 6 : पारिवारिक रहितगरी-1, अपारिवारिक रहितगरी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9
- Item 6 : Family Residential-1, Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, Institutional-5, Others-9
- कोड 11 : चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4
- Item 11 : Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year -2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

अनुसूची भरने के लिये अनुदेश
INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE

..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।
 turn for the year ending 31st March

श्रेणी-1 (सार्वजनिक क्षेत्र) : यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक की लागत पर परियोजनाओं के लिये अलग-अलग राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, जिला निगमों, विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि के द्वारा भरी जानी है। ये सब परियोजनाएँ जो ली गयी/चातु है, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है, उसकी सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजना के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक है। परियोजना की लागत कुछ भी हो।

Schedule-I (Public Sector) : This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction departments, PWD/ME Railways/P&T/PWD's/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central Public Works Departments. It is to be filled by each field unit separately in Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects undertaken/continuing does not exceed Rs.25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the project irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

श्रेणी-II (निजी क्षेत्र) :- यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवं II शहरों और श्रेणी III से IV के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/आवास निर्माताओं द्वारा भरी जानी है।

Schedule-II (Private Sector) :- This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II in urban areas and the selected towns in class VI towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

1. पहचान : स्वतः स्पष्ट
 Identification : self explanatory
2. स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है। स्थान, जिला, राज्य, ग्रामीण व शहर स्वतः स्पष्ट है। शहर, जिला, राज्य का नाम लिखा जाना चाहिये।
 Location : It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment. Place, District, State Rural & Urban are self explanatory - Town, District & State name should be written.
3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवं डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी साइट पर मा. भी और प्रस्तावित समान को सुपुर्दगी, कारखाने की शुरुआत या नींव का पत्थर रखने के बाद पहली बार व्यवहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।
 Date of Commencement : When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing stages i.e. site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the laying of foundation stone.
 अनुमोदित लागत :- परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो राक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये 00 में भरना जाना चाहिये।
 Approved Cost : The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)
4. कार्यपालक एजेंसी/अभियान : स्वतः स्पष्ट
 Executing agency (Codes) Self explanatory
5. निर्माण का प्रकार (कूट) : स्वतः स्पष्ट
 Nature of Construction (Codes) : Self explanatory
6. निर्माण का स्वरूप (कूट) : स्वतः स्पष्ट
 Type of Building (Codes) : Self explanatory

7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमंजिले भवनों या एक मंजिल के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।
Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt. :- Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors of one storey buildings or more than one floor is to be calculated here.
8. भवन में फर्शों/पल्लो का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से है इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढ़ियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।
Total floor area of all the floors in sq. mt. : (Carpet Area) : It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, baths etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth but not more than plinth area.
9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।
If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :- Self explanatory.
10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-
No. of dwelling Units in the Project : The classification of units by category is as follows :-
ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्ग फुट)
EWS (< 500 Sq. ft.)
एल.आई.जी. (500 - 800 वर्ग फुट)
LIG (500 - 800 Sq. ft.)
एम.आई.जी. (800 - 1200 वर्ग फुट)
MIG (800 - 1200 Sq. ft.)
एच.आई.जी. (> 1200 वर्ग फुट)
HIG (> 1200 Sq. ft.)
11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट
Whether Project is completed : Self explanatory
12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम् 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि :- स्वतः स्पष्ट
If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work : Self explanatory.
13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी है
Total investment made in the project : The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different her.
नवीनतम अनुमोदित लागत : यह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।
Latest approved cost : This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the approved cost is to be given.
घातु वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो घातु के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।
Value of work done during the current year - It includes the cost of material incorporate if the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.
परियोजना के शुरु से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।
Value of work done since beginning of work : It is the total expenditure incurred since the beginning of project.
14. टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।
Remarks : Self-explanatory.

Certificate of Registration

Renewals

Valid upto

Signature of Registrar

31.12.2006	<i>[Signature]</i> 13.6.2006
31.12.2007	<i>[Signature]</i> 26/12/07
31.12.2008	<i>[Signature]</i> 18.2.2008
31.12.2009	<i>[Signature]</i> 28.1.2009
31.12.2010	<i>[Signature]</i> 22.1.2010

This is to certify that the name of

Shri UMESH KUMAR GUPTA

has been entered in the register and his Registration No. is
CA/2004/34673

This certificate is valid from the eleventh
day of November 2004 to the thirty-first
day of December 2005 inclusive.

List of Additional Qualifications :

Given under the common Seal of the Council of Architecture,

*This certificate is issued to
Infra vision Pvt. Ltd.
for submitting
LDA.*

*Shiv Khandi
Vibhuti Khandi
Lay out plan*

eleventh day of November, 2004

[Signature]
Secretary

[Signature]
President

This Certificate of Registration is issued under sub-section (7) of Section 24 and sub-section (4) of Section 26 of the Architects Act, 1932, enacted by the Parliament of India.

